T.R.N – 2 दि० 6-5-2021

<u>अनुस्मारक</u>

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद

पत्रांक:- निर्माण समन्वय (प्रकोष्ठ)/ग्रुप- /   दिनांक:-

सेवा में,

समस्त अधिशासी अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग/सिंचाई विभाग,
उत्तर प्रदेश।

विषय:- मासिक लेखा निर्धारित तिथि तक प्राप्त न होने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के प्रस्तर-758 के प्रावधानों के अनुसार खण्ड के मासिक लेखा (माह अप्रैल से फरवरी तक) की महालेखाकार कार्यालय मे प्राप्ति की अंतिम तिथि लेखा माह की 10 तारीख नियत है एवं माह मार्च की महालेखाकार कार्यालय मे प्राप्ति की अंतिम तिथि लेखा माह की 15 तारीख नियत है ।

इस कार्यालय के पत्रांक:-निर्माण समन्वय (प्रकोष्ठ)/ग्रुप-/34, 35 दिनांक 19/04/2021 के द्वारा निर्देशित किया था कि जिन खण्डों द्वारा माह 03/2021 का मासिक लेखा प्रेषित नहीं किया गया है, वे अविलम्ब इस कार्यालय में मासिक लेखा प्राप्त कराना सुनिश्चित करें जिससे उसे राज्य लेखे में सम्मिलित किया जा सके किन्तु अभी भी कुछ खण्डों के मासिक लेखे इस कार्यालय में प्राप्त नहीं कराये गए हैं ।

अतः उन खण्डों को पुनः निर्देशित किया जाता है कि अपने खण्ड का मासिक लेखा दिनांक 10.05.2021 तक इस कार्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें ।

भवदीय

वरिष्ठ लेखाधिकारी/नि.स.(प्र.)

पत्रांक:-निर्माण लेखा- /ग्रुप- / 40   दिनांक:- 6-5-21

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग/सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त वरिष्ठ खंडीय लेखाधिकारी/खंडीय लेखाधिकारी, लोक निर्माण विभाग/सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश।
3. वरिष्ठ लेखाधिकारी/कम्प्यूटर (प्रकोष्ठ), स्थानीय को कार्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

वरिष्ठ लेखाधिकारी/नि.स.(प्र.)